

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम:-कृष्मणि शिखर सिहग, आई.एस.

प्रकरण संख्या--101 / 2022 विधि (धारा 14 सिक्योरिटीडजेशन)

आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड, 201-202 द्वितीय फ्लोर साऊथेण्ड स्कावायर-मान सरोवर, औद्योगिक क्षेत्र जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी सेवाराम मोदी शाखा प्रभारी, हनुमानगढ़।

—प्रार्थी

विक्रम

1. परमजीत सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह निवासी वार्ड नंबर 9, चक 1 पीटीपी, सन्तपुरा, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

—अप्रार्थी / ऋणी

2. कंचन पत्नी परमजीत सिंह निवासी वार्ड नंबर 9, चक 1 पीटीपी, सन्तपुरा, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. दर्शन सिंह पुत्र कलवत सिंह निवासी वार्ड नंबर 9, चक 1 पीटीपी, सन्तपुरा, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

—अप्रार्थी / सहऋणी

4. हाकमसिंह पुत्र नन्द सिंह निवासी वार्ड नंबर 9, चक 1 पीटीपी, सन्तपुरा, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

—गारपटीवाला



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

आदेश दिनांक:-19.07.2023

प्रार्थी आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड, 201-202 द्वितीय फ्लोर साऊथेण्ड स्कावायर मानसरोवर, औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी सेवाराम मोदी शाखा प्रभारी, हनुमानगढ़ की ओर श्री भवानी सिंह निर्वाण वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आवास फाईनेन्सर्स लिमिटेड प्रार्थी की एक वित्तीय कम्पनी है जिसका गठन कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत हुआ है जिसका पंजीकृत कार्यालय 201-202 द्वितीय फ्लोर साऊथेण्ड स्कावायर मानसरोवर औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर में स्थित है। प्रार्थी कम्पनी हाऊसिंग फाईनेन्स के व्यवसाय में कार्यरत है तथा नेशनल हाऊसिंग बैंक अधिनियम 1986 के निर्धारित मानदण्डों से अधिशक्ति है। प्रार्थी कम्पनी आवासीय गृहों की खरीद, निर्माण एवं गृहों के विस्तार से सम्बन्धित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वित्त सुविधा प्रदान करती है।

अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 ने प्रार्थी कम्पनी से दिनांक 12.10.2019 को राशि 5.75,000/-रुपये व दिनांक 26.05.2021 को 1,14,000/- रुपये का ऋण जरिये बैंक प्राप्त किया था। अप्रार्थीगण ने आवश्यकतानुसार व विधि द्वारा अपेक्षित ऋण दर्स्तावेज प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में निष्पादित किये। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त ऋण मय ब्याज व चर्खे के पुनः भुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपने स्वामित्व की अचल सम्पत्ति निर्मित आवासीय भूखण्ड साईज 2460

वर्गफ्रीट वाक खसरा नं. 266 / 6 सन्तपुरा तहसील रामरिया जिला हनुमानगढ को प्रार्थी कम्पनी के पक्ष ने सांख्यिक बरसतक किया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 व 4 ने ऋण करार के अनुसार निष्पत्ति का व प्रार्थी कम्पनी के उक्त ऋण का भुगतान नहीं करने पर दिनांक 03.08.2022 को ऋण के भुगतान व वित्तिकम डिफाल्ट होने पर प्रार्थी कम्पनी के द्वारा उपरोक्त सर्जिमेंटों का ऋण व्यता एनफीए सर्जिफ कर दिया गया।

प्रार्थी कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को दिनांक 08.08.2022 को धारा 13(2) मुक्तक एक्ट के तहत नोटिस जारी कर दिनांक 11.08.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस भेजकर श्री 7.43.095 / - ऋण के भुगतान 60 दिवस में करने हेतु सूचित किया व यह नोटिस बैंकिंग नवयोजि में दिनांक 11.08.2022 को प्रकाशित करवाया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 4 के उक्त ऋण में दिनांक 03.08.2022 तक कुल ऋण राशि 7.43.095 / - काय अतिदेय धाम, वर्ष 4 लागत आदि मर्दों में बकाया है जिसका भुगतान करने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 व 4 निर्धारण है।

अप्रार्थीगण द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी कम्पनी को नहीं करने पर उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कम्पनी उपरोक्त वर्णित रहन भूदा अवल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन भूदा सम्पत्ति का मौलिक कब्जा प्रार्थी कम्पनी द्वारा लिया जाना है। प्रार्थी कम्पनी को मौलिक कब्जा लेने हेतु पुलिस सहायता दिलाना जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थी कम्पनी के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का महत्ता व अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थीगण ऋणी व सहऋणी द्वारा प्रार्थी कम्पनी को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि नय ब्याज अदा नहीं करने पर प्रार्थी कम्पनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस भिजवाया जाना पाया गया। इसके परवात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान प्रार्थी कम्पनी को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत तथा प्रार्थी कम्पनी के द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थी कम्पनी के पास बंधक अवल सम्पत्ति निहित आवसीय उक्त ऋण की सुविधा के एवज में प्रार्थी कम्पनी के पास बंधक अवल सम्पत्ति निहित आवसीय मुख्यड साईज 2460 वर्गफ्रीट वाक खसरा नं. 266 / 6 सन्तपुरा तहसील रामरिया जिला हनुमानगढ व उस पर निर्मित मकान का मौलिक कब्जा जरिसे पुलिस की सहायता से प्रार्थी कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रार्थी कम्पनी को चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करावई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दालिल रफार की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 19.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।



जिला न्यायाधीश
संतपुरा